

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषय:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में एनOएलOईOपीO कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्व लेखा अधीन **काइन्ड ग्रांट (Kind Grant)** अन्तर्गत राज्यांश वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-35 में प्राविधानित धनराशि से शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पOकO/4-बजट/एनOएचOएमO(राज्यांश)/2018-19/6002, दिनांक 13.08.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं हेतु राज्यांश रू0 33091.51 लाख (रू0 तीन अरब तीस करोड़ इक्यानबे लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि **काइन्ड ग्रांट (Kind Grant)** के रूप में आहरित कर स्टेट हेल्थ सोसाइटी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के खाते में जमा करने के लिये राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

(क) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा Kind के रूप में उपलब्ध करायी गयी सामग्री आदि के सापेक्ष प्रस्तावित केन्द्रांश का आगणन कर लिया गया है तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष इससे पूर्व राज्यांश की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जायेगा। उक्त साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(ख) आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेशियल मैनेजमेन्ट जनवरी, 2012 के अनुरूप धनराशि को व्यय के समय ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) इस योजना के लिये पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि Kind/धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर उपयोग/व्यय किया गया है तथा प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य समिति को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जायेगा। उक्त के साथ एस0सी0पी0 तथा टी0एस0पी0 की धनराशि का उपयोग एस0सी0पी0 तथा टी0एस0पी0 के लिये जारी दिशा-निर्देशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

- (घ) महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि की देयता वास्तविक है तथा संशोधित फण्डिंग पैटर्न में निर्धारित राज्यशे के अनुपात की सीमा के अन्तर्गत ही है।
- (ड.) महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा पूर्व में उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि का भी नियमानुसार सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (च) महानिदेशक, परिवार कल्याण की इन्फ्रा क्वर की धनराशि के सम्बन्ध में तत्काल ऑडिट की कार्यवाही सुनिश्चित करवाते हुए भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-35 के मुख्य लेखाशीर्षक "2211-परिवार कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के060/रा-40-के0+रा0)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-3-2084/दस-2018, दिनांक 10.10.2018 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
सचिव।

संख्या-97/2018/1218(1)/पॉच-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 9- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशिकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।